भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1288

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2025
6 श्रावण, 1947 (शक)

भारत में एमएमए के लिए शासी निकाय को मान्यता

1288. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) इंडिया, फेडरेशन ऑफ एमएमए इंडिया (एफएमएमएआई) और अखिल भारतीय एमएमए फेडरेशन (एआईएमएमएएफ) जैसे कई निकाय इस खेल के आधिकारिक शासी निकाय होने का दावा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने एशियाई खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एमएमए में भारत का प्रतिनिधित्व करने और संचालन करने के लिए किसी एक महासंघ को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इन महासंघों के बीच विवाद को सुलझाने और 20वें एशियाई खेलों में एमएमए में भारत का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का 20वें एशियाई खेलों में एमएमए प्रतियोगिता में पेशेवर एथलीटों को भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) इस मंत्रालय ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट (एमएमए) खेल के लिए किसी भी परिसंघ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है, तथापि कई संस्थाएं एमएमए खेल के लिए अभिशासी निकाय होने का दावा करती हैं। मंत्रालय द्वारा किसी खेल परिसंघ को किसी विशेष खेल के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मान्यता भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 में निर्धारित मानदंडों और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है।

(घ) और (ङ) एशियाई खेलों में भागीदारी के लिए एथलीटों/टीमों की प्रविष्टियां भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा एशियाई ओलंपिक परिषद और संबंधित खेल विधाओं के संबंधित अंतरराष्ट्रीय और एशियाई परिसंघों द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती हैं।

*****